# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 10/2018

| अपीलकर्ता | | उतरदातागण |
|---|---|---|
| 1 लेहरोदेवी पत्नी नीम्बाराम जाति जाट निवासी धने का तला शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर। | बनाम | 1 ग्राम पंचायत शिवकर 2 सुरताराम पुत्र बांकाराम 3 पाबुराम 4 बांकाराम पिसरान गंगाराम जाति जाट निवासी धने का तला शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.**

उपरिथति :– 1 श्री विष्णु चौधरी, वकील अपीलकर्ता पक्ष।

**आदेश**

दिनांक 20.09.2023

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा शिवकर पटवार हल्का शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1008/1 की 51.00 बीघा भूमि खातेदार सुरताराम, नीम्बाराम, पाबुराम, बांकाराम पिसरान गंगाराम का संयुक्त खातेदारी का आया हुआ था। अपीलकर्ता के पति का स्वर्गवास हो जाने के बाद उतरदाता संख्या 02 से 04 ने तत्कालीन ग्राम पचांयत से साठ–गाठ कर नीम्बाराम को कुंवाराम फौत बताकर उतरदाता संख्या 02 से 04 ने अपने नाम करवाया दिया जिस पर पारित नामान्तकरण संख्या 25 का ज्ञान अपीलाकर्ता को नही होने दिया। स्वर्गीय नीम्बाराम के वैध वारिशों की जाचं कर पटवारी हल्का को नीम्बाराम की पत्नी को वैध वारिश नही बता कर उतरदाता संख्या 02 से 04 के नाम नामान्तकरण जांच किये बिना अपीकर्ता को उसके अधिकारों से वंचित कर उतरदाता संख्या 01 से नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 21.04.1999 को पारित करवा दिया जो नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य होने से अपास्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1008/1 वर्तमान खसरा संख्या 1081/1008 रकबा 51.00 बीघा भूमि जिसमे अपीलकर्ता के पति नीम्बाराम का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का होने से अपीलकर्ता का भी 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज करवाने की अपीलकर्ता अधिकारी है। उक्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु अपीलकर्ता ने उतरदाता संख्या 02 ये 04 से कहा तो उतरदाता संख्या 02 से 07 ने इन्कार कर दिया तथा अपीलकर्ता को कहा की अपीलकर्ता का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नही है तब अपीलकर्ता ने नामान्तकरण व जमाबन्दी की नकले प्राप्त की तब अपीलान्ट का उक्त नामान्तकरण का ज्ञान हुआ, जो धारा 05 म्याद अधिनियम में सुमार करते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर मौजा शिवकर पटवार हल्का शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1008/ वर्तमान खसरा संख्या 1081/1008 की 51.00 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 21.04.1999 को अपास्त कर अपीलकर्ता का नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का आदेश फरमावे।

वकील अपीलकर्ता द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 21.04.1999 का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी उक्त नामान्तकरण का अपीलकर्ता को भूमि का

उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

बंटवाड़ा करवाने हेतु अपीलकर्ता ने उतरदाता संख्या 02 ये 04 से कहा तो उतरदाता संख्या 02 से 07 ने इन्कार कर दिया तथा अपीलकर्ता को कहा की अपीलकर्ता का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नही है तब अपीलकर्ता ने नामान्तकरण व जमाबन्दी की नकले प्राप्त की तब अपीलान्ट का उक्त नामान्तकरण का ज्ञान होने पर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत म्याद में सुमार करने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण ईकतरफा।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 21.04.1999 व 495 दिनांक 02.08.1986, जमाबन्दी संवत् 2071 तथा खतौनी संवत् 2055 से 2058, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा स्वर्गीय नीम्बाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता, नीम्बाराम की पत्नी है तथा उतरतदाता संख्या 02 व 04 ने मिलावट कर अपीलकर्ता का नाम नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 21.04.1999 में पारित नही कर अपने पक्ष में नामान्तकरण पारित करवा दिया। लिहाजा उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 21.04.1999 का अपास्त किया जाकर पुनः नीम्बाराम के वैद्य वारिशान की जांच करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 05 म्याद अधिनियम अन्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील स्वीकार की जाकर मौजा शिवकर पटवार हल्का शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1008/ वर्तमान खसरा संख्या 1081/1008 की 51.00 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 21.04.1999 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा शिवकर पटवार हल्का शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1008/ वर्तमान खसरा संख्या 1081/1008 की 51.00 बीघा भूमि में स्वर्गीय नीम्बाराम पुत्र गंगाराम के वैद्य वारिशों की जांच करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन कर प्रविष्टी पुनः दर्ज करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 20.09.2023 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी